REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228035 CG-DL-E-01072021-228035

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943No. 370]NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाए विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 460(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जीवन बीमा निगम (इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) "निगम" शब्द के पश्चात् शब्द "साधारण" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा,।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, —

(i) "इन नियमों में" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इन नियमों में";

(ii) खंड (iक) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:----

'(iiक) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" से अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 25) की धारा 3 के अधीन स्थापित है;';

(iv) खंड (iii) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है ।"

4. उक्त नियमों के नियम 4, नियम 3क, नियम 4,नियम 5, नियम 6, नियम 7 नियम 8 और नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

 केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट निदेशकों की पदाविधि और सेवा की शर्त-. धारा 4 की उपधारा
 (2) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक निदेशक नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है —

- (i) केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत के दौरान पद धारण करेगा, केन्द्रीय सरकार जो विनिर्दिष्ट कर सके जो निबंधन के लिए केन्द्रीय सरकार जो विनिर्दिष्ट कर सके, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और पुनर्नियोजन के लिए पात्र होगा ।
- (ii) केन्द्रीय सरकार को उसको लिखित में नोटिस देकर अपना पदत्यागपत्र कर सकेगा और त्यागपत्र तारीख से प्रवृत्त होगा, यदि कोई हो, निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके या इस तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, जब कभी पश्चात्वर्ती हो।

4. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए पूर्ण कालिक निदेशकों के कतिपय अन्य निबंधनों और सेवा की शर्तें-. (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया पूर्णकालिक निदेशक अशक्तत हो जाता है या अन्यथा अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करने में अक्षम हो जाता है या छुट्टी पर अनुपस्थित है या अन्यथा परिस्थितियों में अपने कार्यालय अवकाश अंर्तनिहित नहीं है, केन्द्रीय सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान अपने स्थान में कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(2) नियम 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

- (i) केन्द्रीय सरकार उसके बदले में वेतन और भत्ते तीन माह या लिखित में अपश्चात नोटिस सरकार देने द्वारा उस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान से पूर्ण किसी समय पर पूर्णकालिक निदेशक सेवाओं को समाप्त करने के लिए अधिकार पास होगा
- (ii) पूर्णकालिक निदेशक लिखित में तीन माहों में अपश्चात् केन्द्रीय सरकार देने पर उस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का के अवसान के पूर्व किसी समय पर उस के पद त्याग का उसका अधिकार उसके पास होगा ।

(3) नियम 3 या नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार पद से पूर्णकालिक निदेशक को हटा सकेगी, यदि समाधान हो जाता है कि-

- (i) लोकहित में या निगम के समुचित प्रबंधन सुनिश्चित के लिए ऐसा करना आवश्यक है ; या
- (ii) उसने अपनी प्रास्थिति का दुरुपयोग किया है या निगम के हितों में प्रतिकूल रीति में कार्य किया है

परंतु ऐसा हटाया नहीं जाएगा जब तक उसको रीति में सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर न दिया गया हो ।

5. बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए निदेशकों की पदावधि और सेवा की शर्तें-(1) उपधारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) या खंड (छ) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक निदेशक जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन पर नियुक्ति को अनुमोदित किया है –

> (i) वह चार वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और चार वर्ष की एक और पदावधि के लिए पात्र होगा ;

परंतु इस उप-नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड (छ) के अधीन नियुक्त किए गए पहले तीन निदेशक ऐसे पदावधि जो बोर्ड विनिश्चय कर सके, जो छह माह से अधिक ना हो उसके लिए पदधारण करेगा और चार वर्ष की एक और पदावधि के लिए नियुक्ति हेतु पात्र होगा;

 (ii) वह निगम को लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद का त्याग कर सकेगा और निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट यदि कोई हो, त्यागपत्र उस तारीख से प्रवृत्त होगा या वह तारीख जब निगम द्वारा ऐसी नोटिस प्राप्त होती है, जो भी पश्चातवर्ती हो;

परंतु निदेशक अपना त्यागपत्र के लिए कारणों में ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा और प्रतिज्ञान करेगा कि विनिर्दिष्ट उनको छोड़ कर तात्विक कारण नहीं है ।

(2) साधारण अधिवेशन पर सदस्य सादा बहुमत द्वरा पारित संकल्प द्वारा सुनवाई होने के बाद उसको युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (च) या खंड (छ) के अधीन नियुक्त किया गया, हटाया जा सकेगा ।

परंतु सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और उप-नियम (I) के अधीन दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया गया स्वतंत्र निदेशक केवल विशेष संकल्प पारित द्वारा हटाया जाएगा ।

(3) उप-नियम (1) और नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उच्चतर अपेक्षाएं इस निमित्त में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किए गए किसी विनियम के अधीन इसकी इसके साधारण अंश की सूची को लागू करके निगम की दशा में, यदि कोई हो, बाध्यताओं की सूचीकरण के संबंध में उक्त बोर्ड द्वारा किए गए किसी विनियम के अधीन हो और प्रकटन की अपेक्षाएं उक्त उप-नियमों में उपलब्ध करने के लिए सामग्री के संबंध में लागू होगा।

6. हित का प्रकटन – (1) अनुसूची में उल्लिखित प्ररुप में लिखित में नोटिस देते हुए धारा 4ख की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, प्रत्येक निदेशक निकाय कारपोरेट (शेयरधारित हित में शामिल) उसके समुत्थान या हित को प्रकटित करेगा ।

(2) सभी नेटिसें निगम के केन्द्रीय कार्यालय पर रखा जाएगा और ऐसी नोटिसें वित्तीय वर्ष के अंत से दस वर्ष के लिए परिरक्षित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए कंपनी संचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए —

(i) " निगमित निकाय" का अर्थ वही होगा जो धारा 4ख के स्पष्टीकरण में समिदेशित किया गया है ;

(ii) "कंपनी सचिव" का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी संस्थान का सदस्य है और जो निगम के सचिवीय कृत्य का प्रधान है ।

7. पक्षकार संबंधित के साथ या संविदा या ठहराव – (1) धारा 4 ग, धारा की उप-धारा (2) के खंड (घ) और धारा 13 ग की उप-धारा 3 के अनुसार कोई संविदा का ठहराव संबंधित पक्षकार के साथ निगम द्वारा किया है और बोर्ड पक्ष जो ऐसी संविदा विचारित के होने के लिए प्रस्तावित है, निम्नलिखित प्रकटन किया जएगा, अर्थात्:—

(i) पक्षकार संबंधित का नाम और नातेदारी की प्रकृति;

- (ii) प्रकृति, अवधि और संविदा या ठहराव की वशिष्टियां;
- (iii) यदि कोई हो, उसके मूल्य सहित, ठहराव या संविदा के तात्विक निबंधन;
- (iv) संविदा या ठहराव के लिए, यदि कोई हो, अग्रिम संदत्त या प्रप्ति;
- (v) कीमत नियतन की अवधारणा की रीति और अन्य वाणिज्यिक अवधियां, चाहे हो या न हो विचार किए बिना संविदा में समान सम्मिलित किया जाता है ;
- (vi) किया संविदा के लिए सभी कारकों पर विचार किया गया है और यदि नहीं, कारकों के ब्यौरों को विचार नहीं किया है समान कि लिए के साथ विचार नहीं किया जा रहा है ;
- (vii) यथिस्थिति, संपरीक्षा समिति या बोर्ड के लिए सुसंगत कोई अन्य जानकारी मामले में निर्णय लेना।

(2) संबंधित पक्षकारी के साथ कोई संविदा, या ठहराव में जहां कोई निदेशक हितबद्ध है, जो ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार किया जाता है, संपरीक्षा समिति या बोर्ड की बैठक पर ऐसा निदेशक उपस्थित नहीं होगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 10 में, उप-नियम खंड (ii) में "निगम द्वारा" शब्दों के स्थान पर शब्द "बोर्ड द्वारा" रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 14 में, "निगम द्वारा" शब्दों के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 16 में, "निगम" शब्दों के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित नियम और अनुसूची अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"21. वह प्ररूप और रीति जिसमें वित्तीय विवरण जारी, परिचालित या प्रकाशित किया जा सकेगा.—निगम-

(i) निगम के प्रत्येक वित्तीय विवरण की प्रति उसे प्राप्त करने के लिए हकदार प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रीति से या सदस्य की दशा में धारा 5ख में निर्दिष्ट सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट पते पर और अन्य व्यक्ति की दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या ज्ञात अंतिम पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भौतिक प्रति के प्रेषण द्वारा या परिदान करके भेजेगा ;

(ii) उसके पूर्व दस वर्षों के वित्तीय विवरणों को वार्षिक साधारण बैठक में अंगीकृत करने के पश्चात् उसकी वेबसाइट पर रखेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "वित्तीय विवरण" में बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और धारा 24ख की उपधारा (8) के अधीन संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ निगम का समेकित वित्तीय विवरण सम्मिलित है;
- (ख) "कूरियर" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दस्तावेज का परिदान करता है और उसके परिदान का सबूत उपलब्ध कराता है;
- (ग) "इलेक्ट्रानिक रीति" से निगम द्वारा उसके प्राधिकृत और सुरक्षित कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से भेजी गई कोई संसूचना अभिप्रेत है जो भेजी गई संसूचना की पुष्टि जनित करने में और संसूचना को प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को ऐसी संसूचना का प्रेषिती के इलेक्ट्रानिक मेल पते पर अभिलेख रखने में समर्थ है;

 (ग) "पता" से इलेक्ट्रानिक रीति द्वारा वित्तीय विवरण भेजने के संबंध में प्रेषिती का इलेक्ट्रानिक मेल पता अभिप्रेत है।

22. संपरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें.—(1) संपरीक्षा समिति, धारा 25ख की उपधारा (6) में यथा निर्दिष्ट निगम या निगम की किसी शाखा अथवा कार्यालय के संपरीक्षकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संपरीक्षक" कहा गया है) के चयन के लिए पॉलिसी विनिर्मित करेगी और उसे अंगीकृत करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगी :

परंतु ऐसी पॉलिसी में, प्रस्तावित संपरीक्षक द्वारा यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना सम्मिलित होगा कि —

- (क) यथास्थिति, व्यष्टि या फर्म प्रस्तावित नियुक्ति के लिए, पात्र हैं और अधिनियम तथा चार्टर्ड अकाउंटटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 39) और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है और संपरीक्षक, कंपनी अधिनियम (2013 का 18) की धारा 141 के अधीन कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्रता हेतु उपबंधित मानदंड से संतुष्ट है ;
- (ख) प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम के अधीन उपबंधित निबंधनों के अनुसार है;
- (ग) प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम द्वारा अधिकथित सीमाओं के भीतर या उसके प्राधिकार के अधीन है ;
- (घ) प्रमाण पत्र में प्रकट किए जाने वाले आचरण के वृत्तिक मामलों के संबंध में संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म अथवा संपरीक्षा फर्म के किसी भागीदार के विरुद्ध लंबित कार्यवाहियों की सूची सत्य और सही है ।

(2) बोर्ड, उपनियम (1) के अधीन सिफारिश की गई पॉलिसी को किन्हीं उपांतरणों के बिना या ऐसे उपांतरणों जो वह आवश्यक समझे, के साथ अंगीकृत करेगा ।

(3) संपरीक्षा समिति उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा अंगीकृत पॉलिसी के अनुसरण में संपरीक्षकों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी जिन पर संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा ।

(4) संपरीक्षा समिति, उपधारा (3) में निर्दिष्ट पैनल में से संपरीक्षकों के चयन के लिए संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले प्रस्तावित व्यष्टि या फर्म की अर्हताओं और अनुभव को और ऐसी अर्हताएं ध्यान में रखेगी और यह कि अनुभव यथास्थिति निगम या उसकी शाखा अथवा कार्यालय के आकार और अपेक्षाओं के अनुरूप हो, :

परंतु संपरीक्षा समिति, नियुक्ति पर विचार करते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित भारतीय चार्टरित अकाउंटेंट संस्थान या किसी सक्षम प्राधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित संपरीक्षक के विरुद्ध आचरण के वृत्तिक मामलों के संबंध में किसी आदेश या लंबित कार्यवाही का ध्यान रखेगी ।

(5) संपरीक्षा समिति, प्रस्तावित संपरीक्षक से ऐसी अन्य सूचनाएं मांग सकेगी जो वह उचित समझे ।

(6) लेखा समिति, उपनियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड को संपरीक्षक के रूप में किसी व्यष्टि या फर्म के नाम पर विचार करने के लिए सिफारिश करेगी ।

(7) यदि बोर्ड, उपधारा (6) के अधीन संपरीक्षा समिति की सिफारिशों से सहमत है तो वह वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के संपरीक्षक के रूप में किसी व्यष्टि या फर्म की नियुक्ति की सिफारिश करेगा ।

(8) यदि बोर्ड, उपनियम (6) के अधीन संपरीक्षा समिति की सिफारिशों से असहमत है तो वह असहमति के कारणों को प्रोदृरत करते हुए लेखा समिति को पुन: विचार करने के लिए सिफारिशें वापस निर्दिष्ट करेगा ।

(9) यदि लेखा समिति, उपधारा (8) के अधीन बोर्ड द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् उसकी मूल सिफारिशों पर पुन: विचार नहीं करने का विनिश्चय करती है तो बोर्ड, संपरीक्षा समिति के साथ उसकी असहमति के कारण अभिलिखित करेगा और वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के विचार के लिए उसकी सिफारिशें प्रदान करेगा और यदि बोर्ड, लेखा समिति की सिफारिश से सहमत हो जाता है तो वह मामले को सदस्यों द्वारा विचारण के लिए वार्षिक साधारण बैठक में रखेगा ।

(10) वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्त किया गया संपरीक्षक उस बैठक की समाप्ति से ऐसी बैठक सहित जिसमें प्रथम बैठक के रुप में गिनते हुए ऐसी नियुक्ति की गई है, छठी वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेगा :

स्पष्टीकरण.-- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक कि पहली वार्षिक साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है बोर्ड इस नियम के अधीन वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्यक् रूप से अर्हित संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए धारा 25 की उपधारा (8) के अधीन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए, पालन करेगा।

23. संपरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय.--(1) निगम के संपरीक्षक की रिपोर्ट में, ऐसे उपांतरणों और अपवादों के अध्यधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे—

- (i) कंपनी अधिनयिम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कंपनियों की बाबत संपरीक्षा के लिए संपरीक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित मामलों पर निगम के संबंध में संपरीक्षक के विचार और टिप्पणियां सम्मिलित होगी, और
- (ii) निगम के संबंध में ऐसे मामलों का विवरण सम्मिलित होगा जिनका कंपनी की बाबत संपरीक्षक रिपोर्ट में सम्मिलन, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश द्वारा निदेशित हो ।

(2) संपरीक्षक रिपोर्ट में उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन निगम के संपरीक्षक द्वारा कपट की रिपोर्ट के संबंध में किसी विवरण के सम्मिलित होने की अपेक्षा निगम की शाखा या कार्यालय के संपरीक्षक संपरीक्षा रिपोर्ट को भी उस विस्तार तक जहां तक कि वह ऐसी शाखा या कार्यालय से संबंधित है, लागू होगी ।

24. निगम की शाखा या कार्यालय की संपरीक्षा और उसके संपरीक्षक के संदर्भ में निगम संपरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां.— धारा 25ख की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए निगम की शाखा या कार्यालय और उसके संपरीक्षक की संपरीक्षा के संदर्भ में निगम संपरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वह होगी जो धारा 25ख की उपधारा (1) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट है।

25. संपरीक्षक का त्याग पत्र.—(1) धारा 25क की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए जब एक संपरीक्षक निगम से त्यागपत्र देता है वह इन नियमों की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट प्ररूप 2 में एक विवरण फाइल करेगा ।

(2) निगम द्वारा उसकी ओर से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम के अधीन उसके साधारण शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करने की दशा में सूचीबद्ध इकाइयों से कानूनी संपरीक्षकों के पदत्याग की बाबत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा ।

26. निर्गम में पॉलिसी धारकों के पक्ष में आरक्षण और जीवन बीमा का आबंटन.—(1) धारा 5 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन लोक निर्गम में प्रतिस्पर्धा के आधार पर निगम द्वारा उसके जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के पक्ष में किया गया कोई आरक्षण उस रीति के समान किया जाएगा जो पूंजी जारी करने और प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में उस विस्तार तक जहां तक कि वह अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध न हो और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव दस्तावेज में यथा प्रकट निबंधनों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों और जारी किए गए परिपत्रों के अधीन लोक निर्गम में कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण को लागू होते हैं।

(2) जीवनबीमा पॉलिसीधारकों को उनके पक्ष में किए गए किसी आरक्षण के विरूद्ध साधारण शेयरों का आबंटन संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से किया जाएगा । **स्पष्टीकरण:** उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन में दिए गए हैं जो कि अधिनियम के उपबंधों के विरूद्ध नहीं हैं ।

27. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग – इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,

- (क) सूचना देने, या कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, या जानकारी मांगने, या कोई विवरणी फाईल करने की किसी अपेक्षा का तब समाधान होगा, यदि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथा परिभाषित किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्ररूप में, यथा स्थिति दी गई है, प्रस्तुत की गई, मांगी गई या फाईल की गई है,
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा किसी सूचना पर हस्ताक्षर करने, प्रमाण-पत्र देने, जानकारी मांगने या विवरणी की अपेक्षा का समाधान तब होगा, यदि उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथापरिभाषित अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए हैं।

अनुसूची

प्ररूप 1

(नियम 6 देखे)

[निदेशक द्वारा हित की सूचना]

सेवा में :

निदेशक बोर्ड भारतीय जीवम बीमा निगम

महोदया/महोदय

क्र. सं.	निगमित निकाय का	हित या सरोकार की	शेयर धारण	तारीख, जिस पर हित
	नाम	प्रकृति/हित या सरोकार में		या सरोकार उद्भूत या
		परिवर्तन		परिवर्तित हुआ

टिप्पण: "निगमित निकाय" जिसमें कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) के अधीन यथापरिभाषित निगमित निकाय, फर्म, वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक या केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उद्दयम और अन्य कोई निगमित व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

प्रबंध निदेशक/निदेशक/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्ररूप 2

[नियम 25 देखें]

लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र की सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम")

- 1. (क) निगम के केंद्रीय कार्यालय का पता :
 - (ख) निगम का ई-मेल पता :
- 2. लेखा परीक्षक का वर्ग 📃 व्यक्तिगत 📃 फर्म
- 3. (क) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का आयकर पीएएन :
 - (ख) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का नाम :
 - (ग) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखा परीक्षक की फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या :
 - (घ) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का पता :
 - (ङ) शहर :
 - (च) राज्य :
 - (छ) पिन कोड :
 - (ज) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का ई-मेल पता :
- 4. त्यागपत्र का कारण
- 5. क्या त्यागपत्र संलग्न है : हां/नहीं
- 6. त्यागपत्र में कोई अन्य सुसंगत तथ्य :

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज सही और पूर्ण हैं ।

मैं इस प्ररूप को हस्ताक्षरित और प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूँ ।

हस्ताक्षर

लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म के भागीदार

क्या सहयुक्त या अध्येता हैं ? 🔝 सहयुक्त 🛛 🔤 अध्येता

सदस्यता संख्यांक:

संलग्नक:

- 1. त्यागपत्र, यदि संलग्न है
- 2. कोई अन्य दस्तावेज" ।

[फा. सं. 1-13011/01/2021-बीमा.1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

- **टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1889(अ), तारीख 28 अगस्त, 1956 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं में संशोधित किए गए थे ।
 - (1) सा.का.नि. 317, तारीख 30 अप्रैल, 1958
 - (2) सा.का.नि. 1101, तारीख 8 नवम्बर, 1958
 - (3) सा.का.नि. 1568, तारीख 23 अक्तूबर, 1964
 - (4) सा.का.नि. 1094, तारीख 22 जुलाई, 1965
 - (5) सा.का.नि. 1116, तारीख 2 दिसम्बर, 1988
 - (6) सा.का.नि. 278(अ), तारीख 28 मई, 1997
 - (7) सा.का.नि. 474(अ), तारीख 23 जुलाई, 2004
 - (8) सा.का.नि. 669(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2006
 - (9) सा.का.नि. 2, तारीख 3 जनवरी, 2012
 - (10) सा.का.नि. 199, तारीख 14 अक्तूबर, 2015
 - (11) सा.का.नि. 96(अ), तारीख 10 फरवरी, 2020

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 460 (E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, after the word "Corporation", the word "General" shall be inserted.

3. In rule 2 of the said rules, —

- (i) For the words "In these rules", the following shall be substituted, namely:- "(1) In these rules";
- (ii) clause (ia) shall be omitted;
- (iii) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

'(iia) "Securities and Exchange Board of India" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);';

(iv) after clause (iii), the following shall be inserted, namely:----

"(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act."

4. For rules 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"3. Term of office and conditions of service of directors appointed or nominated by Central Government.—Every director appointed or nominated by the Central Government under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (e) of sub-section (2) of section 4—

(i) shall hold office during the pleasure of the Central Government, for such term not exceeding five years as the Central Government may specify and be eligible for re-appointment;

4. Certain other terms and conditions of service of whole-time directors appointed by Central Government.—(1) If a whole-time director appointed by the Central Government under sub-clause (i) of clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 4 is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise in circumstances not involving the vacation of his office, the Central Government may appoint another person to act in his place during his absence.

(2) Notwithstanding anything contained in rule 3,-

- (i) the Central Government shall have the right to terminate the services of a whole-time director at any time before the expiry of the term specified under that rule by giving him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu thereof;
- (ii) a whole-time director shall have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified under that rule by giving the Central Government notice of not less than three months in writing.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 3 or sub-rule (2) of rule 4, the Central Government may remove a whole-time director from office if it is satisfied that—

- (i) in the public interest or for securing the proper management of the Corporation it is necessary so to do; or
- (ii) he has abused his position or has acted in a manner prejudicial to the interests of the Corporation:

Provided that no such removal shall be made unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

5. Term of office and conditions of service of directors appointed by Board.—(1) Every director appointed by the Board under clause (f) or clause (g) of sub-section (2) of section 4, and whose appointment is approved at the annual general meeting,—

(i) shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years:

Provided that notwithstanding anything contained in this sub-rule, the first three directors appointed under the said clause (g) shall hold office for such term as the Board may decide, not exceeding six months, and shall be eligible for appointment for one further term of four years;

(ii) may resign his office by giving a notice in writing to the Corporation, and the resignation shall take effect from the date, if any, specified by the director or the date when such notice is received by the Corporation, whichever is later:

Provided that the director shall specify in such notice the reasons for his resignation and shall affirm that there is no material reason other than those specified.

(2) The members at a general meeting may, by a resolution passed by a simple majority, remove a director appointed under clause (f) or clause (g) of sub-section (2) of section 4, after giving him a reasonable opportunity of being heard:

Provided that an independent director appointed for a second term under sub-rule (1) shall be removed only by passing a special resolution, and after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), in the event of the Corporation applying to list its equity shares under any regulation made by the Securities and Exchange Board of India in this behalf, higher requirements, if any, under any regulation made by the said Board in respect of listing obligations and disclosure requirements shall apply with regard to the matters provided for in the said sub-rules.

6. Disclosure of interest.—(1) Every director shall disclose his concern or interest in any body corporate (including shareholding interest), in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 4B, by giving a notice in writing in Form 1 set out in the Schedule to these rules.

(2) All notices shall be kept at the central office of the Corporation and such notices shall be preserved for a period of ten years from the end of the financial year to which it relates and shall be kept in the custody of the Company Secretary or such other person authorised by the Board for the purpose.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

- (i) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in the Explanation to section 4B;
- (ii) "Company Secretary" shall mean a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India, constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and who is the head of the secretarial function of the Corporation.

7. Contract or arrangement with related party.—(1) Any contract or arrangement entered into by the Corporation with a related party shall be in accordance with the provisions of section 4C, clause (d) of subsection (2) of section 19C and sub-section (3) of section 19C, and the agenda of the meeting of the Audit Committee and the Board at which such contract or arrangement is proposed to be considered shall disclose the following, namely:—

- (i) the name of the related party and nature of relationship;
- (ii) the nature, duration and particulars of the contract or arrangement;
- (iii) the material terms of the contract or arrangement, including the value thereof, if any;
- (iv) advance paid or received, if any, for the contract or arrangement;
- (v) the manner of determining the pricing and other commercial terms, irrespective of whether or not the same are included in the contract;
- (vi) whether all factors relevant to the contract have been considered and, if not, the details of the factors not considered, along with the rationale for the same not being considered;
- (vii) any other information relevant for the Audit Committee or the Board, as the case may be, to take decision in the matter.

(2) Where any director is interested in any contract or arrangement with a related party, such director shall not be present at the meeting of the Audit Committee or the Board at which such contract or arrangement is considered.".

5. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (ii), for the words "by the Corporation", the words "by the Board" shall be substituted.

6. In rule 14 of the said rules, for the words "by the Corporation", the words "by the Chief Executive" shall be substituted.

7. In rule 16 of the said rules, for the word "Corporation", the words "Chief Executive" shall be substituted.

8. After rule 20 of the said rules, the following rules and Schedule shall be inserted, namely:-

"21. Form and manner in which financial statement may be issued, circulated or published.— The Corporation shall—

- (i) send to each member and every other person entitled to receive the same, either by electronic mode or by despatch of physical copy by way of registered post or speed post or courier to, or delivery at, the address entered in the register of members referred to in section 5B in the case of members and at the registered office or the last known address in case of other persons, a copy each of the financial statement of the Corporation;
- (ii) place its financial statements for the preceding ten years on its website after the same have been adopted at an annual general meeting.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

- (a) "financial statement" includes the consolidated financial statement of the Corporation, along with the Board's report, auditor's report and other documents required to be attached therewith under sub-section (8) of section 24B;
- (b) "courier" means any person who delivers a document and provides proof of its delivery;
- (c) "electronic mode" means any communication sent by the Corporation through its authorised and secured computer programme, which is capable of generating a confirmation of the communication having been sent and of keeping a record of such communication addressed to the person entitled to receive the same, at the electronic mail address of the addressee;
- (d) "address" in relation to sending of financial statement by electronic mode shall mean the electronic mail address of the addressee.

22. Manner and procedure of selection of auditors and conditions of their appointment.—(1) The Audit Committee shall formulate and recommend to the Board for adoption of a policy for selection of auditors of the Corporation or of any branch or office of the Corporation as is referred to in sub-section (6) of section 25B (hereinafter referred to as "Auditor"):

Provided that such policy shall include submission of a certificate by the proposed Auditor that-

- (a) the individual or the firm, as the case may be, is eligible for the proposed appointment and is not disqualified for appointment under the Act and the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), and the rules and regulations made thereunder, and that the auditor satisfies the criteria provided for eligibility for appointment as an auditor of a company under section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) the proposed appointment is as per the term provided under the Act;
- (c) the proposed appointment is within the limits laid down by or under the authority of the Act;
- (d) the list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct, to be disclosed in the certificate, is true and correct.

(2) The Board shall adopt the policy recommended under sub-rule (1) without any modifications or with such modifications as it may consider necessary.

(3) The Audit Committee shall, in accordance with the policy adopted by the Board under sub-rule (2), draw up a panel of names of auditors who may be considered for appointment as an Auditor.

(4) For selecting an Auditor from out of the panel referred to in sub-rule (3), the Audit Committee shall take into consideration the qualifications and experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment as Auditor and whether such qualifications and experience are commensurate with the size and requirements of the Corporation or its branch or office, as the case may be:

Provided that while considering the appointment, the Audit Committee shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters of conduct against the proposed Auditor before the Institute of Chartered Accountants of India constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or any competent authority or any court.

(5) The Audit Committee may call for such other information from the proposed Auditor as it may deem fit.

(6) Subject to the provisions of sub-rule (4), the Audit Committee shall recommend to the Board for its consideration the name of an individual or a firm as Auditor.

(7) If the Board agrees with the recommendation of the Audit Committee under sub-rule (6), it shall recommend the appointment of an individual or a firm as Auditor to the members in the annual general meeting.

(8) If the Board disagrees with the recommendation of the Audit Committee under sub-rule (6), it shall refer the recommendation back to the Audit Committee for reconsideration, while citing the reasons for the disagreement.

(9) If the Audit Committee, after considering the reasons given by the Board under sub-rule (8), decides not to reconsider its original recommendation, the Board shall record the reasons for its disagreement with the Audit Committee and give its own recommendation for consideration of the members in the annual general meeting; and if the Board agrees with the recommendations of the Audit Committee, it shall place the matter for consideration by members in the annual general meeting.

(10) The Auditor appointed in the annual general meeting shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of the sixth annual general meeting, with the meeting wherein such appointment has been made being counted as the first meeting.

Explanation.—For the removal of any doubts, it is hereby clarified that until the first annual general meeting is held, the Board shall perform the functions required to be performed by the members in the annual general meeting under this rule, subject to fulfilment of the requirement of previous approval of the Central Government under sub-section (8) of section 25 for appointment of duly qualified auditors.

23. Other matters to be included in auditor's report.—(1) The report of the auditor of the Corporation shall include—

- (i) the auditor's views and comments in relation to the Corporation on matters prescribed by the Central Government to be included in the auditor's report for audit in respect of companies, under sub-section (2) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and
- (ii) a statement in relation to the Corporation on such matters whose inclusion in the auditor's report in respect of companies may be directed by any order issued by the Central Government under sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013),

subject to such modifications and exceptions as the Central Government may by notification specify.

(2) The requirement of inclusion in the auditor's report of any statement regarding reporting of fraud by the auditor of the Corporation under clause (ii) of sub-rule (1) shall also apply to the auditor's report of the auditor of a branch or office of the Corporation, to the extent it relates to such branch or office.

24. Duties and powers of Corporation's auditor with reference to audit of branch or office of the Corporation and its auditor.—For the purposes of sub-section (6) of section 25B, the duties and powers of the Corporation's auditor with reference to the audit of a branch or office of the Corporation and its auditor shall be as contained in sub-sections (1) to (4) of section 25B.

25. Resignation of auditor.—(1) For the purposes of sub-section (2) of section 25A, when an auditor has resigned from the Corporation, he shall file a statement with the Corporation in Form 2 as set out in the Schedule to these rules.

(2) In the event of the Corporation applying to list its equity shares under any regulation made by the Securities and Exchange Board of India in this behalf, any additional requirements specified by the Board in respect of resignation of statutory auditors from listed entities shall be complied with.

26. Reservation in favour of and allotment to life insurance policyholders in a public issue.—(1) Any reservation made by the Corporation in favour of its life insurance policyholders on a competitive basis in a public issue under clause (a) of sub-section (9) of section 5 shall be made in a manner similar to that applicable to a reservation on a competitive basis for employees in a public issue under any regulation made and circular issued by the Securities and Exchange Board of India regarding issue of capital and disclosure requirements, to the extent not repugnant to the provisions of the Act, and be subject to fulfilment of the terms and conditions in this regard, as disclosed in the offer document approved by the Board.

(2) Allotment of equity shares to life insurance policyholders against any reservation made in their favour shall be made in consultation with the stock exchanges concerned.

Explanation.—Words and expressions used in this rule but not defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the regulations made by the Securities and Exchange Board of India regarding issue of capital and disclosure requirements, to the extent not repugnant with the provisions of the Act.

27. Use of electronic records and electronic signature.—For the purposes of these rules, any requirement

- (a) giving notice, or submission of a certificate, or calling for information, or filing of a statement shall be satisfied if the same is given, submitted, called for or filed, as the case may be, in the form of an electronic record as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (b) a person signing a notice, certificate, a call for information or a statement shall be satisfied if he affixes thereon his electronic signature as defined in the Information Technology Act, 2000 (21of 2000).

SCHEDULE

FORM 1

[See rule 6]

Notice of interest by director

To:

of—

The Board of Directors Life Insurance Corporation of India

Dear madam/sir,

I,, son/daughter/spouse of, resident of, resident of my interest or concern in the following bodies corporate:—

S. No.	Name of the body corporate	Nature of interest or concern/ change in interest or concern	Shareholding	Date on which interest or concern arose/ changed

Note: "Body corporate" includes a company, a body corporate as defined under clause (11) of section 2 of the Companies Act, a firm, a financial institution or a scheduled bank or a public sector enterprise established or constituted by or under any Central Act or State Act, and any other incorporated association of persons or body of individuals.

Place:

Date:

Signature

Managing Director/Director/Chairperson/Chief Executive

FORM 2

[See rule 25]

Notice of resignation by the auditor

Life Insurance Corporation of India ("Corporation")					
1. (a) Address of the Central Office of the Corporation:					
(b) Email address of the Corporation:					
2. Category of auditor: Individual Firm					
3. (a) Income tax PAN of auditor or auditor's firm:					
(b) Name of the auditor or auditor's firm:					
(c) Membership number of auditor or auditor's firm registration number:					
(d) Address of the auditor or auditor's firm:					
(e) City:					
(f) State:					
(g) PIN code:					
(h) Email address of the auditor or auditor's firm:					
4. Reason for resignation:					
5. Whether letter of resignation is enclosed: Yes/No					
6. Any other facts relevant to the resignation:					
Verification					
I hereby confirm that the information given in this form and enclosed documents are correct and complete.					
I am duly authorised to sign and submit this form.					

Signature

Auditor/Partner of the audit firm

Whether Associate or Fellow? \Box Associate \Box Fellow

Membership number:

Enclosures:

- 1. Resignation letter, if enclosed
- 2. Any other document".

[F. No. I-13011/01/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

- **Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.R.O. 1889A, dated the 28th August, 1956 and were subsequently amended *vide* the following notifications:
 - (1) G.S.R. 317, dated the 30th April, 1958
 - (2) G.S.R. 1101, dated the 8th November, 1958
 - (3) G.S.R. 1568, dated the 23rd October, 1964
 - (4) G.S.R. 1094, dated the 22nd July, 1965
 - (5) G.S.R. 1116, dated the 2nd December, 1988
 - (6) G.S.R. 278(E), dated the 28th May, 1997
 - (7) G.S.R. 474(E), dated the 23rd July, 2004
 - (8) G.S.R. 669(E), dated the 26th October, 2006
 - (9) G.S.R. 2, dated the 3rd January, 2012
 - (10) G.S.R. 199, dated the 14th October, 2015
 - (11) G.S.R. 96(E), dated the 10th February, 2020